भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/46/2018 दिनांक : 3 जुलाई, 2018

प्रेस नोट

विषय : सी-विजिल ऑनलाईन एप का शुभारंभ।

श्री ओ.पी.रावत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा तथा श्री अशोक लवासा, निर्वाचन आयुक्त के साथ निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के संबंध में सूचना देने हेतु नागरिकों के लिए आज तक ऑनलाईन एप का शुभारंभ किया। इस एप्लिकेशन का नाम **'सीविजिल'** है और यह सतर्क नागरिकों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन में उनके द्वारा निर्वाह की जाने वाली सक्रिय एवं जिम्मेवार भूमिका को निर्दिष्ट करता है।

श्री सुनील अरोड़ा तथा श्री अशोक लवासा के साथ ओ.पी.रावत मुख्य निर्वाचन आयुक्त 'सीविजिल' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा तथा उप निर्वाचन आयुक्त श्री संदीप सक्सेना भी उपस्थित थे।

'सीविजिल' एक प्रयोक्ता-अनुकूल तथा सहज प्रचालनीय एप्लिकेशन है जिसे राज्यों में निर्वाचन घोषित करने पर शुरू किया जाएगा। यद्यपि, आगामी महीने में नागरिकों तथा निर्वाचन स्टाफ के लिए बीटा संस्करण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसमें नागरिक एप्लिकेशन की विशेषताओं से परिचित हो

सकते हैं था इसी डाटा भी भेजने की कोशिश कर सकते हैं। इससे निर्वाचन स्टाफ को भी इस संस्करण के दौरान यह प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, इस एप्लिकेशन को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम तथा राजस्थान राज्यों के आगामी निर्वाचनों में सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जो इसे अगले साधारण निर्वाचनों में उपयोग करने से पहले एक प्रयोग के रूप में भी कार्य करेगा।

इस एप्लिकेशन के लिए एक कैमरा, बेहतर इंटरनेट कनेक्शन तथा जीपीएस ऐक्स युक्त एन्ड्रॉयड अपेक्षित है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड जेलीबीन या इससे ऊपर का होना चाहिए। यह एप्लिकेशन सभी नवीनतम एंड्रॉयड स्मार्टफोन का सर्मथन करती है।

सीविजिल से निर्वाचनरत राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), जो निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से मतदान के एक दिन बाद तक प्रभावी रहते हैं के उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकेगा। इस एप का उपयोग करके नागरिक राजनैतिक अनाचार की घटनाओं को देखकर मिनटों के अंदर तथा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाए तत्काल इनकी सूचना दे सकते हैं।

यह करने के लिए उन्हें केवल गतिविधियों की एक फोटो या वीडियों पर क्लिक करना होगा। तथा मोबाइल एप्लिकेशन पर इसे अपलोड करने से पहले इसका विवरण देना होगा जहां से यह सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में बीप करेगी। यह उड़न दस्तों को कुछेक मिनटों में उस निर्धारित स्थान तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।

सीविजिल सतर्क नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी तथा क्षेत्रीय सत्यापन यूनिट (उड़न दस्तो)/स्थैतिक निगरानी दलों से जोड़ेगी, जिससे हुत और सटीक रिपोर्टिंग तथा कार्रवाई एवं निगरानी प्रणाली तैयारी की जा सकेगी।

इस प्रकार निर्वाचन आयोग एमसीसी उल्लंघनों संबंधित शिकायतों को संचारित करने एवं इनका पता लगाने हेतु एक हुत सूचना चैनल प्रदान करेगा जो फिल्हाल मौजूद नहीं है। आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघनों की नागरिकों द्वारा सूचना देने में अक्सर इतनी देर हो जाती है कि अपराधी कार्रवाई दस्तों से बच निकलते हैं। इसके अतिरिक्त चित्र या वीडियों के रूप में भी दस्तावेजी साक्ष्य शिकायत की पुष्टि में बाधा के रूप में पाया गया। आयोग के अनुभव ने यह भी दिखाया है कि रिपोर्टिंग की बहुत बड़ी प्रविशतता झूठी या गलत थी जिसके कारण फिल्ड सत्यापन इकाइयों के मूल्यांकन समय की बर्बादी हुई। इसके अतिरिक्त, भौगोलिक स्थिति के विवरण की सहायता से घटना-स्थल की त्वरित

और सटीक पहचान करने के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया प्रणाली नहीं होने की बजह से उल्लघंनकर्ताओं को पकड़ने के लिए निर्वाचन अधिकारियों की क्षमता प्रभावित हुई है। नए ऐप से इन सभी कमियों को कम करने तथा फास्ट ट्रैक शिकायत अभिग्रहण (रिसेप्शन) एवम् निवारण प्रणाली बनाने की आशा है।

सीविजिल ऑरेटिंग मॉडल निम्नानुसार कार्य करेगा:-

चरण-1- नागरिक एक चित्र खिचेगा या 2 मिनट का वीडियो रिकार्ड करेगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा स्वचालित स्थान संबंधी मानचित्रण सहित फोटो। वीडियो एप पर अपलोड किया जाता है। इसके सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के पश्चात नागरिक को अपने मोबाइल पर कार्रवाई के अपडेट का पता लगाने तथा अनुवर्ती अपडेट प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट आईडी मिलती है। इस प्रकार एक व्यक्ति अनेक घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है तथा अनुवर्ती कार्रवाई को अपडेट हेतु प्रत्येक रिपोर्ट के लिए उसे एक विशिष्ट आईडी मिलेगा।

चरण-2- नागरिक द्वारा शिकायत की सूचना देने पर यह सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में बीप करती है जहां इसे फिल्ड इकाई को सौंपा जाता है। एक फिल्ड इकाई में उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल, आरक्षित दल आदि होते हैं । प्रत्येक फिल्ड इकाई के पास एक जीआईएस-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन होगी जिसे ''सीविजिल डिस्पैचर'' कहा जाता है जिससे फिल्ड इकाई सीधे जीआईएस और नेविगेश्प तकनीक के माध्यम से उस स्थान पर पहुंच जाती है तथा कार्रवाई करती हैं।

चरण -3- फिलड इकाई द्वारा कार्रवाई करने के पश्चात, यह निर्णय और निपटान के लिए रिटर्निंग अधिकारी को सीविजिल डिस्पैचर के माध्यम से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के रूप में संबंधित दस्तावेज का संदेश देता है तथा अपलोड करता है। यदि घटना सही पाई जाती है तो सूचना को आगे की कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल पर भेज दिया जाता है तथा सतर्क नागरिक को की गई कार्रवाई की सूचना 100 मिनट के अंदर प्रदान कर दी जाती है।

एप में इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित विशेषताएं हैं। यह केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के बारे में शिकायत प्राप्त करेगा। फोटो या वीडियों खींचने के बाद घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रयोक्ता को 5 मिनट मिलेंगे। गलत दृश्यों को अपलोड करने से रोकने के लिए, एप पूर्व-रिकार्ड किए गए फोटों/वीडियों को अपलोड नहीं करने देगा तथा न ही यह प्रयोक्त को इस ऐप द्वारा खींची गई फोटो को फोन गैलरी में सेव करने देगा। इसके अतिरिक्त, यह एप्लिकेशन केवल उन राज्यों

में सक्रिय होगी जहां निर्वाचन की घोषणा की गई है। जिस क्षण कोई नागरिक राज्य से बाहर निकलेगा, यह ऐप निष्क्रिय हो जाएगी।

निर्वाचन आयोग इस ऐप तथा अपने आस-पास आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के संबंध में नागरिकों द्वारा तुरंत रिपोर्ट करने के प्रति उनके उत्साह पर भरोसा कर रहा है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के उद्देश्य को हासिल करने में मदद मिले सके।

ह/.
(पवन दीवान)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

सीविजिल

उद्देश्य

सीविजिल निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के संबंध में सूचना देने हेतु नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है। इस एप्लिकेशन का नाम सीविजिल है और यह सतर्क नागरिकों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन में उनके द्वारा निर्वाह की जाने वाली सक्रिय एवं जिम्मेवार भूमिका का घोतक है।

सीविजिल एप का उपयोग करते हुए, नागरिक गैर कानूनी प्रचार-प्रसार क्रियाकलापों का पता लगते ही मिनटों के अंदर तथा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाए बिना तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। सीविजिल एन्ड्रायड आधारित एक आसान ऐप है जो प्रयोक्ता - अनुकूल तथा उपयोग करने में आसान है। इसके लिए बस एक फोटो या वीडियों खींचना है तथा क्रियाकलाप का निवारण देना है तथा इसे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपलोड करना है। यह उड़न दस्ते को कुछ मिनटों में उस स्थान पर पहुंचने में समर्थ बनाती है।

यह एप्लिकेशन सतर्क नागरिक को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी तथा फिल्ड सत्यापन इकाई (उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दलों) से जोड़ती है जिसके द्वारा एक तेज तथा सटीक रिर्पोर्टिंग, कार्रवाई एवं अनुवीक्षण तंत्र तैयार होता है

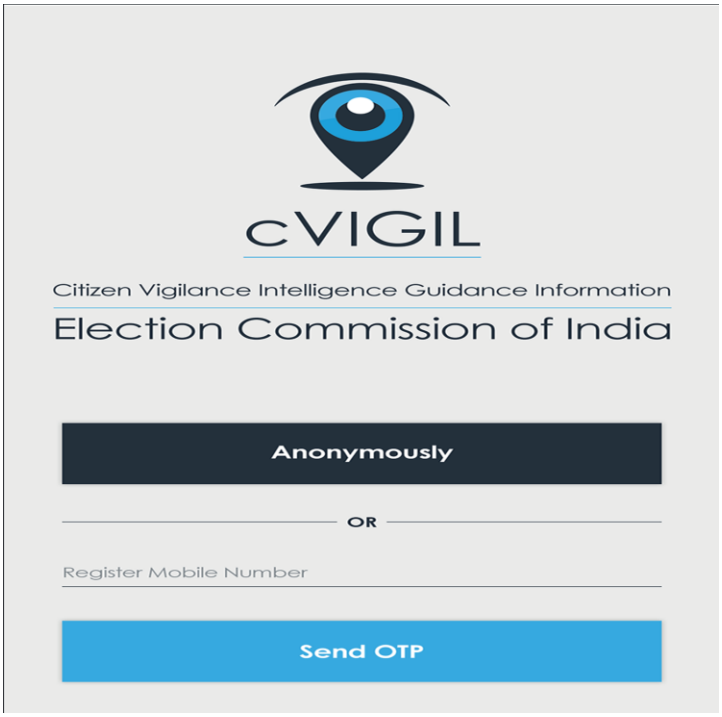

यह कैसे भिन्न है।

1. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के संबंध में नागरिकों की वास्तविक शिकायतें निहित स्वार्थों वालों के द्वारा प्रवर्तन तंत्र का ध्यान भटकाने और प्रतिक्रिया विलंब करने के लिए प्रवर्तन तंत्र का ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। यह ऐप नागरिकों को प्राथमिक कार्रवाई करने में समर्थ बनाता है क्योंकि यह एक साक्ष्य के युक्त शिकायत है जो जिओ टैग होता है। दूसरी ओर यह प्रथम निगरानी दलों तथा स्थैतिक निगरानी दलों को आसानी से छोटी-मोटी शिकायतों का पता लगान में मदद करता है।
2. यह ऐप शिकायतकर्ता के फोन नम्बर और पहचान को गुप्त रखता है ताकि उन्हें उच्च पदस्थ एवं शक्तिशाली व्यक्तियों के विरूद्ध सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें और शिकायतकर्ता को उत्तरवर्ती संभावित प्रतिघात का कोई खतरा न हो।
3. यदि फोन नम्बर तथा पहचान छिपाई नहीं जाती है तो शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई के बारे में प्रतिक्रिया मिलती है और वह इस प्रक्रिया को ट्रैक भी कर सकता/सकती है।

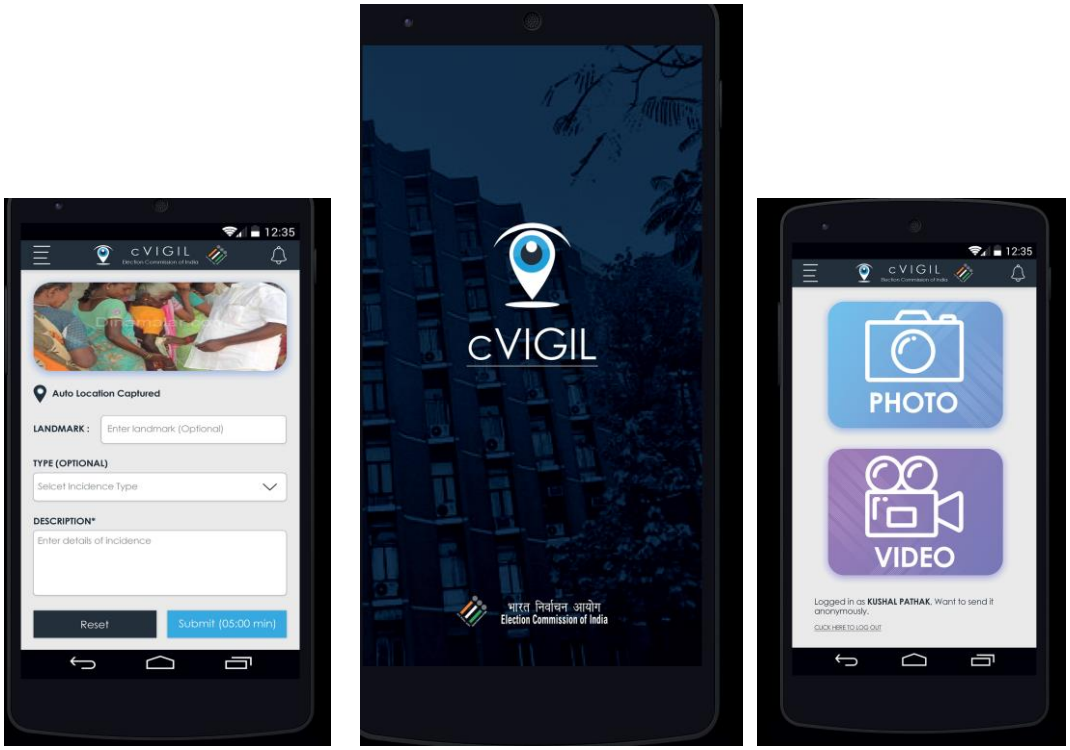

सीविजिल लैण्डमार्क टाइप(विकल्प) विवरण	सीविजिल भारत निर्वाचन आयोग	सीविजिल फोटो वीडियो

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए एक ऐप
केवल 100 मिनट में सटेटस

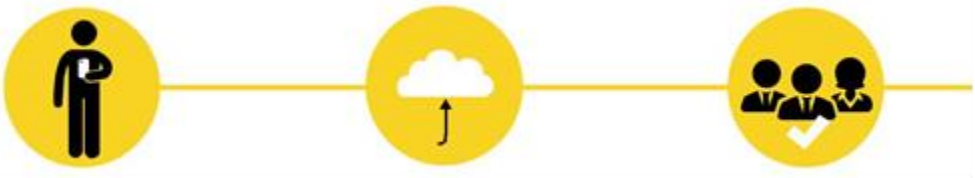

5 मिनट
जागरूक नागरिक
फोटो/वीडियो
लेता है

5 मिनट
सीविजिल के
द्वारा नागरिक
फोटो/वीडियो
अपलोड करता
है

5 मिनट
जिला नियंत्रण
कक्ष सत्यापन
हेतु फील्ड
यूनिट को
शिकायत
सौंपता है

सीविजिल का ऑपरेटिंग मॉडल

पहला चरण	**दूसरा चरण**
नागरिक एप्लीकेशन खोलता है और एक फोटो खींचता है अथवा वीडियो रिकॉर्ड करता है। फोटो/वीडियो भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा ऑटोमेटेड लोकेशन मैपिंग के साथ ऐप पर अपलोड	नागरिक द्वारा शिकायत की सूचना देने पर सूचना नियन्त्रण कक्ष में बीप करती है जहां एलयू से इसे फील्ड यूनिट को सौंप दिया जाता है, प्रत्येक फील्ड यूनिट के पास एक जीआई एस आधारित मोबाइल

किया जाता है इसके सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के बाद, नागरिक, जिसने पंजीकरण का चयन करने वाले को अपने मोबाइल पर अनुवर्ती अपडेट की स्थिति जानने तथा प्राप्त करने के लिए एक यूनिक आईडी मिलती है। इस प्रकार एक नागरिक अने घटनाओं की रिपोर्ट दे सकता है और अनुवर्ती अपडेट के लिए प्रत्येक रिपोर्ट हेतु उसे एक यूनिक आईउी मिलेगी ।	एप्लीकेशन होती है जिसे सीविजिल डिस्पेचर कहा जाता है, जिससे फील्ड यूनिट को प्रत्यक्ष रूप से अवस्थिति सहित शिकायत प्राप्त हो जाती है और सीविजिल के द्वारा उसे घटना सत्यापन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अनुदेश दिया जाता है।

15 मिनट
फील्ड टीम घटना स्थल पर पहुंच जाती है

30 मिनट
फील्ड टीम कार्रवाई करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है

50 मिनट
स्थिति की सूचना देने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया गया समय

चरण 3

फील्ड यूनिट द्वारा कार्रवाई करने के बाद, यह संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्णय एवं निपटान के लिए सीविजिल डिस्पेचर के माध्यम से की गई कार्रवाई रिपोर्ट का संदेश देता है। घटना सही पायी जाती है, तो सूचना अग्रिम कार्रवाई हेतु भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल को भेजी जाती है और सतर्क नागरिक को की गई कार्रवाई के बारे में 100 मिनट के भीतर सूचित किया जाता है।

अचूक विशेषताएं:

- यह एप्लीकेशन केवल आदर्श आचार संहिता संबंधी उल्लंघनों की सूचना देने के प्रयोजनार्थ है।

- इस ऐप की मदद से प्रयोक्ता पिक्चर या वीडियो लेने के पश्चात, 5 मिनट में घटना की सूचना भेज सकता है।
- इस ऐप में पूर्व-रिकॉर्ड की गई इमेज/वीडियो अपलोड करना अनुमत्य नहीं होगा।
- इस ऐप के माध्यम से खींची गई फोटो/वीडियो गैलरी में सेव नही किए जा सकते हैं।
- एप्लीकेशन में एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा नागरिक केवल उस राज्य में शिकायत दायर कर सकते है जहां निर्वाचन घोषित किए गए हैं।
- सीविजिल इन्सटॉल करने वाले किसी भी नागरिक को यह पता चल जाएगा कि यह ऐप केवल निर्वाचन होने वाले राज्य में सक्रिय होता हैं।

ऐप के लिए अनिवार्यताएं

इस ऐप के लिए अच्छे इंटरनेट कनेक्शन और जीपीएस एकसेस युक्त एक एन्ड्रोयोड स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एन्डॉयड जेलीबीन या उससे ऊपर का संस्करण होना चाहिए। यह एप्लीकेशन सभी नवीनतम एन्ड्रॉयड स्मार्टफोन के अनुकूल है।

एप्लीकेशन के लाभ

- सीविजिल एक सुविधजनक और प्रयोक्ता अनुकूल ऐप है जो नागरिकों को अपने आस-पास के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के चित्रात्मक साक्ष्य को भेजने में समर्थ बनाता है।
- रिपोर्ट की गई प्रत्येक घटना को शुरू से लेकर अन्त तक ट्रैक किया जा सकता है और इसकी संवीक्षा की जाती है, इस प्रकार प्रणाली में जवाबदेही लाई जाती है।
- सीविजिल की तत्काल लोकेशन सत्यापन संबंधी विशेषता भ्रष्ट एवं गलत-कार्य करने वालों के लिए मजबूत निवारण के रूप में कार्य करेगा क्योंकि उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।
- इन सभी घटकों के संयोजन से नागरिकों को निर्वाचन संबंधी दूषित पद्धतियों पर निगरानी रखने और उनको निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा उससे आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को आयोजित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति में मदद मिलेगी।

रोडमैप

'सीविजिल' एक प्रयोक्ता-अनुकूल तथा सहज प्रचालनीय एप्लिकेशन है जिसे राज्यों में निर्वाचन घोषित करने पर शुरू किया जाएगा। यद्यपि, आगामी महीने में नागरिकों तथा निर्वाचन स्टाफ के लिए बीटा संस्करण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसमें नागरिक एप्लिकेशन की विशेषताओं से परिचित हो सकते हैं तथा इसी डाटा भी भेजने की कोशिश कर सकते हैं। इससे निर्वाचन स्टाफ को भी इस संस्करण के दौरान यह प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, इस एप्लिकेशन को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम तथा राजस्थान राज्यों के आगामी निर्वाचनों में सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जो इसे अगले साधारण निर्वाचनों में उपयोग करने से पहले एक प्रयोग के रूप में भी कार्य करेगा।

भारत निर्वाचन आयोग

आईसीटी 2015

परियोजना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

प्रभाग निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली - 110001

http://eci.nic.in.